...यालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः — 22/2020 प्रार्थना पत्र

GCMS No. — 2020/00038

1. आरती पिता प्रकाशजी जाति जाट आयु 14 वर्ष नाबालिग जरिये सरपरस्त माता राधाबाई पत्नि प्रकाश जाति जाट आयु वयस्क निवासी मकनपुरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

2. राधाबाई पत्नि प्रकाश जाति जाट आयु वयस्क निवासी मकनपुरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राजा

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रकाश पिता मगनीराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी मकनपुरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

2. कुशबा पुत्री मगनीराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी मकनपुरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

3. गमेरी बाई बेवा मगनीराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी मकनपुरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

4. उपपंजीयक महोदय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

5. भूमिधारी तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955</u>

उपस्थित :— 1— श्री नरेन्द्र वैष्णव — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2— श्री राकेश पुरी गोस्वामी — अधिवक्ता विपक्षी 1,2,3

:: निर्णय :: दिनांक :— 19.07.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्य एवं आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक कृषि आराजियात राजस्व ग्राम मकनपुरा पटवार हल्का गुडाखेडा तह[illegible] राज० के खाता नं० 43 की आराजी नं0 287 रकबा 0.2500 हे०, आ[illegible] 288 रकबा 0.2900 हे०, आराजी नं० 292 रकबा 0.3900 हे० [illegible] 0500 हे० गेमु०चाह, आराजी नं0 367 रकबा 0.3700 हे० [illegible] 0300 हे०, कुल किता 6 कुल रकबा 1.3800 हेक्टेयर कुल [illegible] पैसा स्थित चली आ [illegible] इसी प्रकार खाता संख्या 28 की आराजी नं० 119 [illegible] 0.0600हे० गेमुचाह० [illegible] नं० 120 रकबा 1.2000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2600 हेक्टेयर कुल [illegible] 22 रुपये 80 पैसा स्थित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 15:52:57 IST
Reason: SelfAttested

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी नं0 1 एवं विपक्षीगण की संयुक्त स्वामित्य अधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात हैं जो प्रार्थीया नंम्बर 1 के दादा मगनीराम पिता हीरालालजी जाट निवासी मकनपुरा के जमाने से चली आ रही हैं। मगनीरामजी का देहान्त 16 माह

पूर्व हो गया हैं, मगनीरामजी के वैध उत्तराधिकारी विपक्षी नंम्बर 1 ता 3 है, तथा विपक्षी नं0 2 व ३ का जो भी हक हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में था वह अपने पिता व पति मगनीरामजी के जीवन काल में ही विपक्षी नं० 1 के पक्ष में छोड दिया था तथा वादग्रस्त आराजियात विपक्षी नं० 1 को विपक्षी नं० 1 के पिता मगनीरामजी ने अपने जीवन काल में आज से 20 वर्ष पूर्व मौखिक हिस्से व बटवारे से दे दी थी। इसलिए विपक्षी नं0 2व 3 का वादग्रसत आराजियात मे कोई हक हिस्सा व कब्जा नही रहा हैं, तथा खाता संख्या 43 की आराजियात प्रार्थीया कमांक 1 के दादा मगनीरामजी के जमाने से चली आ रही है तथा वादग्रस्त खाता नं0 28 की आराजियात जो मगनीरामजी ने अपने जीवन काल में संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से विपक्षी नं० 1 के नाबालिग अवस्था में आज से करीब 25 वर्ष पूर्व हामिद अली, आबीद अली पिता फारुक अली मुसलमान निवासी निम्बाहेडा से कय की है जो संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति होकर प्रार्थीया नं० 1 का जन्म से अधिकार होकर उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीया नं0 1 का बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित है ओर प्रार्थीया नं० 1 का वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्सा तथा विपक्षी नं० 1 का 1/2 हिस्सा है इसी अनुसार मौके पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर संयुक्त रुप से काबिज चले आ रहे हैं। इस आशय का एक आपसी राजीनामा विपक्षी नं01 द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 09/03/2018 को निष्पादित करा कर गवाही गवाहन करा कर नोटरी से तस्दीक करा कर प्रार्थीगण को सुपुर्द किया है तथा मौके पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्ण तरीके से 1/2 हक हिस्से की आराजियात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, इसलिए प्रार्थीया ने वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीया नं० 1 का 1/2 हक हिस्सा घौषित करा कर इसी अनुसार खातेदारी मे दर्ज कराने हेतु विपक्षीगण को कहा तो विपक्षीगण टाल चाल कर रहे हैं तथा प्रार्थीया नं0 1 के 1/2 हक की घोषणा कराने से इंकार हो गये है तथा प्रार्थीगण एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा विपक्षीगण को समझाने बुझाने पर भी विपक्षीगण किसी भी सुरत में मानने को तैयार नही हैं। इसलिए प्रार्थीया नं0 1 वादग्रस्त आराजियात में अपना 1/2 हक हिस्सा घौषित कराने की अधिकारीणी हैं, तथा 1/2 हक हिस्सा विपक्षी नं० 1 के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने की अधिकारी हैं।

3. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे की पूश्तैनी आराजियात से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करे न करावें तथा वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत नही करें न करावें, प्रार्थीगण को शांतिपूर्ण तरीके से काबिज रहकर काश्त करने दे उसमे किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे न करावें, तथा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की हकाई जुताई फसल बुवाई फसल लाने ले जाने में जबरन बाधा पैदा कर रहे है, तथा प्रार्थीगणो को जबरन बेदखल करने पर आमादा हैं, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखें।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को ज[illegible] तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1,2,3 की और से अधिवक्ता श्री राके[illegible] ने मूल वाद में अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1,2,3 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर [illegible] किया कि प्रार्थना पत्र की में वर्णित वादग्रस्त आराजियात तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी का कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य नहीं है। [illegible] संख्या 43 पर दर्ज आ.नं. 287, 288, 292, 366, 367, 451 कुल किता 06 कुल रकबा 1.38 हैक्टर भूमि के साबिक आ.नं. 156 मीन, 216, 286, 570/155, 571/156 किता 05 से बने है। उपरोक्त आराजियात मगनीराम जी की स्वअर्जित आराजियात है एवं उपरोक्त आराजियात को मगनीराम जी ने विपक्षी संख्या 03 गमेरी बाई को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत पत्र से वसीयत कर दिया है। उपरोक्त आराजियात में विपक्षी संख्या 03 गमेरी बाई के अलावा किसी अन्य का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। इस प्रकार आराजी नम्बर 119, 120 कुल किता 02 कुल रकबा 1.26 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पति है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 15:52:57 IST
Reason: SelfAttested

एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति नहीं है। प्रार्थीगण का इसमें कोई हक हिस्सा निहित न हीं है। आपसी राजीनामा दिनांक 09.03.2018 के अनुसार प्रार्थीगण यदि विपक्षी संख्या 01 के साथ रहते है तो जीवन निर्वाह हेतु भूमि दी गई परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अकारण विपक्षी संख्या 01 का परित्याग कर दिया एवं पुनः दहेज व भरण पोषण के वाद प्रस्तुत कर दिये इस कारण प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से उपरोक्त आराजियात में घोषणा प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है।। उपरोक्त आराजियात में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। और ना ही मगनीराम जी ने मौखिक बंटवाडा से उपरोक्त आराजियात विपक्षी संख्या 01 को दी है। प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं होने से विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद कराने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मनगढन्त व असत्य आधारों पर आधारित होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी का कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य नहीं होना बताया। खाता संख्या 43 पर दर्ज आ.नं. 287, 288, 292, 366, 367, 451 कुल किता 06 कुल रकबा 1.38 हैक्टर भूमि के साबिक आ.नं. 156 मीन, 216, 286, 570/155, 571/156 किता 05 से बने है। उपरोक्त आराजियात मगनीराम जी की स्वअर्जित आराजियात है एवं उपरोक्त आराजियात को मगनीराम जी ने विपक्षी संख्या 03 गमेरी बाई को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत पत्र से वसीयत कर दिया है। उपरोक्त आराजियात में विपक्षी संख्या 03 गमेरी बाई के अलावा किसी अन्य का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। इस प्रकार आराजी नम्बर 119, 120 कुल किता 02 कुल रकबा 1.26 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पति है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. <u>**प्रथम दृष्टया मामला**</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी का स्वामित्व तथा कब्जा होना प्रथम शर्त है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण ने प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे प्रार्थीगण का कब्जा साबित हो। अतः प्रार्थीगण अपना स्वामित्व तथा कब्जा साबित करने में विफल रहा है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार [illegible] को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 15:52:57 IST
Reason: SelfAttested

II. <u>**अपूरणीय क्षति**</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात पर अपना कब्जा होना साबित नहीं किया है। इसलिए प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सुविधा का संतुलन :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते है। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। इसलिए प्रकरण में पूर्व में दिनांक 04.03.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसे खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेशः–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थिगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 15:52:57 IST
Reason: SelfAttested